[2019] 6 एस. सी. आर. 1064

भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य

बनाम

पी. सुप्रारमणी

(सिविल अपील संख्या 7011/2009) अप्रैल 26, 2019

[एल. नागेश्वर राव एवं एम.आर.शाह, माननीय न्यायमूर्तिगण]

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-धारा 10 (1) (बी) (प्रथम)-भारतीय स्टेट बैंक में सूचना वाहक के रूप में काम करने वाले प्रत्यर्थी ने एक 'के' और एक 'एस' को एक टूटी हुई सोड़ा की बोतल से घोंप दिया- विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को धारा 324 भा0 द 0 स 0 के अंतर्गत दोषी ठहराया -अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पुष्ट की गयी-प्रत्यर्थी को सेवा से छुट्टी दे दी गयी-प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की-खारिज किया गया-रिट अपील-डिवीजन पीठ द्वारा स्वीकृत की गयी-अवधारित किया गया; बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-धारा 10 (1) (बी) (प्रथम) यह प्रावधान करता है कि नैतिक अधमता से संबंधित अपराध की आपराधिक न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि किसी व्यक्ति को बैंकिग कंपनी के रोजगार में बने रहने से वंचित कर देगी-हाँ लांकि प्रत्येक अपराध समाज के विरूद्ध अपराध है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार सेवा से हटाया जाना केवल नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए हो सकता है- कृत्य जो चारित्रिक नीचता एवं कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं उन्हें नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है-किसी अपराध में नैतिक अधमता शामिल है या नही यह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है- वर्तमान मामला एक हमला से संबंधित है-पीड़ितों की मृत्यु कारित करने का प्रत्यर्थी के लिए कोई हेतुक नहीं था-निचली आपराधिक न्यायालयों ने पाया कि पीड़ितों को लगी चोटें साधारण प्रकृति की थी-प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध नैतिक अधमता से संबंधित नहीं है-प्रत्यर्थी नैतिक अधमता से संबंधित अपराध का दोषी नहीं है-सेवा से हटाए जाने का दायी नहीं है-उच्च न्यायालय का निर्णय, पुष्ट किया गया-सेवा विधि-दण्ड संहिता, 1860- धारा 324.

अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने

अवधारित कियाः 1.1 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-धारा 10 (1) (बी) (प्रथम) यह प्रावधान करता है कि नैतिक अधमता से संबंधित अपराध की एक आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि किसी व्यक्ति को बैंकिंग कम्पनी के रोजगार में बने रहने से वंचित कर देगी। सेवा से हटाए जाने के आदेश को अपास्त एवं निर्देशित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों

प्रत्यर्थी की सेवा में बहाली पर सहमति नहीं है। प्रत्यर्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम,

1949-धारा 10 (1) (बी) (प्रथम) को दृष्टिगत रखते हुए नैतिक अधमता से संबंधित आपराधिक मामले में उसकी दोषसिद्धि के पश्चात प्रत्यर्थी सेवा में बना नहीं रह सकता है। प्रत्यर्थी के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात, सेवा से हटाने का एक आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय यह अवधारित करने में सही नहीं है कि प्रत्यर्थी को सेवा से हटाने के लिए बैंक द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह अवधारित करने में गलती किया कि सेवा से हटाए जाने का आदेश इस आधार पर अपास्त किया जाना चाहिए, कि अधिनियम के जिस प्रावधान के तहत प्रत्यर्थी का सेवा से हटा दिया गया था उसका उल्लेख आदेश में नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा सेवा से हटाए जाने के साथ हस्तक्षेप के लिए एक अन्य कारण दिया गया कि आपरधिक न्यायालय ने प्रत्यर्थी को केवल सेवा मे बने रहने के लिए परिवीक्षा पर मुक्त कर दिया। परिवीक्षा पर मुक्त किया जाना किसी कर्मचारी को सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं देता है। वास्तव में प्रत्यर्थी नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए दोषसिद्धि ठहराए गए एक कर्मचारी की सेवाओं को बाधित करने के लिए बाध्य है। आपराधिक न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां नियोक्ता, जिसके पास अपने कर्मचारी के साथ समुचित व्यवहार करने की स्वतंत्रता हाS, पर बाध्यकारी नहीं है, [पैराग्राफ 4,5] [1069-ए;डी-जी]

1.2 नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए दोषसिद्धि किसी व्यक्ति को बैंक में सेवा जारी रखने के लिए अयोग्य कर देती है। यद्यपि प्रत्येक अपराध समाज के विरूद्ध एक अपराध है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार सेवा से हटाया जाना केवल नैतिक अधमता से संबंधित अपराध कारित किये जाने के लिए हो सकती है। ऐसे कार्य जो चरित्र की नीचता एवं कमजोरी को प्रकट करते है, उन्हें नैतिक अधमता से संबंधित अपराधों के रूप में वर्गीकृत किय जा सकता है। किसी अपराध में नैतिक अधमता शामिल है या नहीं, यह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। साधारणत्या, नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध का निर्णय करने के लिए जिन पर परीक्षणों को लागू किया जा सकता है वे हंS% क) क्या दोषोन्मुख कार्य ऐसा था जो नैतिक विवेक या सामान्य रूप से समाज को झटका दे सकता था; ख) क्या कार्य किये जाने के हेतुक का एक आधार था, ग) क्या कार्य करने के कारण अपराधियो को भ्रष्ट चरित्र का माना जा सकता है या ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है जिन्हें समाज द्वारा नीचे देखा जाता हो। अन्य महत्वपूर्ण कारक जो हैं उच्चतम न्यायालय रिपोट~Z स [2019] 6 एस.सी.आर.

को यह निष्कर्ष निकालने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी अपराध में नैतिक अधमता शामिल हैः- वह व्यक्ति जो अपराध करता है; वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध यह किया गया है; जिस तरीका एवं परिस्थितियों में सिसमें यह कथित रूप से किया गया है; और समाज के मूल्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग की जाने वाली अपराध डाटा संग्रह प्रणाली, राष्ट्रीय घटना आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली (एनआईबीआरएस) के अनुसार, प्रत्येक अपराध तीन श्रेणियों मे से एक से संबंधित होता है जो है; व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध, संपत्ति के विरूद्ध अपराध और समाज के विरूद्ध अपराध। व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों में हत्या, बलात्कार और हमला शामिल है जहां पीड़ित हमेशा व्यक्ति होते है। संपत्ति के विरूद्ध अपराधाsa, उदाहरणस्वरूप लूट और सेंधमारी, का

उद्देश्य धन, संपत्ति या कुछ अन्य लाभ प्राप्त करना है। समाज के विरूद्ध अपराधों, उदाहरणस्वरूप जुआ, वेश्यावृत्ति और नशीली दवाओं का उल्लंघन, कुछ प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने के विरूद्ध समाज के निषेध का प्रतिनिधित्व करते है। [iS राग्राफ 6,8] [1070-बी;जी; 1071-जी; 1072-ए-एफ]

1.3 कुछ अपराधों के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है, जो कि सीधे तौर पर नैतिक अधमता से संबंधित अपराध माने जा सकते हैं जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध। यह मामला एक हमला से संबंधित है। यह कहना बहुत मुश्किल है कि प्रत्येक हमला नैतिक अधमता से संबंधित अपराध नही है। साधारण हमला गंभीर हमला से भिन्न होता है। हमला या साधारण उपहति के सभी मामलों को नैतिक अधमता से संबधित अपराधों की श्रेणी में नही रखा जा सकता है। दूसरी ओर, एक खतरनाक हथियार के प्रयोग, जिससे से पीड़ित की मृत्यु हो सकती है, नैतिक अधमता से संबंधित अपराध में परिणत सकता है। विद्यमान मामले में, प्रत्यर्थी का पीड़िता की मृत्यु कारित करने का कोई हेतुक नहीं था। निचली न्यायालयों ने पाया कि पीड़ितों को लगी चोटें साधारण प्रकृति की थी। प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध में नैतिक अधमता से संबंधित नहीं है। चूंकि प्रत्यर्थी नैतिक अधमता से संबंधित अपराध का दोषी नहीं है, इसलिए वह सेवा से हटाये जाने का दायी नहीं है। [iS राग्राफ 9] [1072-ए-डी]

सुशील कुमार सिंघल बनाम पंजाब नेशनल बैंक (2010) 8 एस.सी.सी. 573: [2010] 9 एस.सी.आर 796:

गिरराज परसाद मीणा बनाम राजस्थान राज्य (2014) 13 एस.सी.सी. 674: [2013] 10 एस.सी.आर 393;

इलाहाबाद बैंक बनाम दीपक कुमार भोला [1997] 2 एस.सी.आर 1055;

पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य

भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम पी. सुप्रारमणी (1996) 4 एस.एस.सी 17: [1996] 2 पूरक, एस.सी.आर. 392;

मंगली बनाम चक्की लाल एआईआर 1963 इलाहाबाद 527;

जोराभाई हीराभाई राबड़ी बनाम जिला विकास अधिकारी, मेहसाणा एआईआर 1996 गुजरात 3-को संदर्भित किया गया।

ब्लैक्स लाW डिक्शनरी छठां संस्करण; बाउवियर्स लाW शब्दकोश 'नैतिक अधमता'-को संदर्भित किया गया।

क्रिस्टोवल सिल्वा-ट्रे विना 241 एवं एन दिसम्बर 687 (एजी 2008)- को संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णित विधि

[2010] 9 एससीआर 796 का पैराग्राफ 5 संदर्भित

[2013] 10 एससीआर 393 का पैराग्राफ 5 संदर्भित

[1997] 2 एससीआर 1055 का पैराग्राफ 8 संदर्भित

[1996] 2 पूरक एससीआर 392 का पैराग्राफ 8 संदर्भित

एआईआर 1963 इलाहाबाद 527 का पैराग्राफ 8 संदर्भित

एआईआर 1996 गुजरात 3 का पैराग्राफ 8 संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 7011/2009

रिट अपील संख्या 1117/2001 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित-12.03.2008 से

आर.पी.भट्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता; ए.वी. रंगम, बड्डी ए. रंगनाधन, सुश्री स्तुति कृष्णा, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्तागण।

श्रीमती के. शारदा देवी, आई.वी. कश्यप, आर. विजयनन्दन रेड्डी, प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव द्वारा दिया गया

1. प्रत्यर्थी, जो पुदुचेरी में भारतीय स्टेट बैंक में एक सूचना वाहक के रूप में काम कर रहा था, को आदेश दिनांकित-15.05.1986 के द्वारा सेवा से हटा दिया गया। सेवा से हटाये जाने के आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अपील 03.07.1986 का खारिज कर दी गई। बाद में, कर्मचारी संघ ने प्रत्यर्थी का मामला उठाया और उसकी ओर से एक अभ्यावेदन दिया जिसे भी 04.05.1992 को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका प्रस्तुत किया, जिसे एकल विद्वान न्यायाधीश द्वारा 07.06.2000 को खारिज कर दिया गया।

2. इससे व्यथित होकर, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट्स [2019] 6 एस.सी.आर, प्रत्यर्थी ने एक रिटअपील प्रस्तुत किया जिसे मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ ने अनुमति दे दी। प्रत्यर्थी को सेवा से हटाये जाने का आदेश अपास्त कर दिया गया एवं अपीलकर्ताओं को प्रत्यर्थी

को बहाल करने के लिए निर्देशित किया गया। अपीलकर्ताओं को सेवा से हटाए जाने की तारीख से बहाली की तारीख तक वेतन का 1/4 बकाया वेतन के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया। अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका पर इस न्यायालय द्वारा 01.09.2009 को नोटिस जारी किया गया, एवं उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगा दी गयी। इसके पश्चात, 19.10.2009 को अनुमति दी गयी एवं अन्तरिम आदेश को पूर्ण बना दिया गया। हमें सूचित किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने 31.12.2012 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है।

2. चूँकि प्रत्यर्थी का सेवा से हटाया जाना नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए दोषसिद्धि के आधार पर है, इसलिए आपराधिक मामले के तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है। ग्रैंड बाजार पुलिस स्टेशन, पुदुचेरी के थाना प्रभारी आफिसर (एसएचओ) द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि 17.06.1983 को 9%00 बजे प्रत्यर्थी ने स्वेच्छया कार्थिबन पुत्र धरमसिवम और शिवगुरूनाथन पुत्र ब्रैम धनबल को टूटी हुई सोड़ा की बोतल से घोंप दिया था। अन्वेषण पूरी होने पर प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके पश्चात, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत आरोप विरचित किया गया था। पत्रावली पर विद्यमान साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात, विचारण न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी का उन पीड़ितों का हत्या कोई आशय नही था जिनका परीक्षण अभियोजन साक्षी संख्या 01 एवं 02 के रूप में हुआ था। अभियोजन साक्षी संख्या 05 द्वारा चोटों को साधारण प्रमाणित किया गया था। विचारण न्यायालय की राय थी कि प्रत्यर्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत दोषसिद्ध करने हेतु कोई सारवान तथ्य नहीं था। हाँलांकि, विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के तहत दोषी ठहराया और उसे तीन महीने के कारावास का दण्डादेश सुनाया। अपराध का हेतुक अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े दो समूहों के बीच पहले का विवाद था। अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि की गयी। अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया क्योंकि उसकी राय थी कि प्रत्यर्थी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के तहत निपटे जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति था। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को परिवीक्षा पर रिहा करने के लिए दिए गए कारणों मे से एक यह था कि प्रत्यर्थी एक बैंक में सूचना वाहक के रूप में कार्यरत था और कारावास का कोई दण्डादेश उसके आजीविका को प्रभावित करेगी।

3. जैसा कि पूर्व में कहा गया है, प्रत्यर्थी को नैतिक अधमता से संबंधित़ अपराध के लिए आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के आधार पर सेवा से हटा दिया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम पी.सुप्रारमणी [न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव]

4. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1)(बी)(प्रथम) यह प्रावधान है कि नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कोई व्यक्ति बैंकिंग कंपनी के रोजगार में बने रहने से वंचित हो जाएगा। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिट अपील को उच्च न्यायालय की डिवीजन पीठ ने इस आधार पर अनुमति दी थी कि आपराधिक

न्यायालय ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी को सेवा में जारी रहने के लिए सक्षम करने हेतु रिहा कर दिया था। उच्च न्यायालय की राय थी कि यदि प्रत्यर्थी को सेवा से हटा दिया गया तो आपराधिक न्यायालय के आदेश का उद्देश्य विफल हो जाएगा। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक अन्य कारण यह है कि विधि के उस प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया था जिसके तहत बैंक ने प्रत्यर्थी को सेवा से हटा दिया था और बैंक द्वारा सेवा से हटाए जाने के आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया था।

5. हम उच्च न्यायालय द्वारा सेवा से हटाए जाने के आदेश को अपास्त करने और प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल करने का निर्देश देने के लिए दिए गए कारणों से सहमत नहीं है। प्रत्यर्थी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि प्रत्यर्थी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10(1) (बी) (प्रथम) को दृष्टिगत रखते हुए नैतिक अधमता से संबंधित आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा में बना नहीं रह सकता है। प्रत्यर्थी के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात सेवा से हटाए जाने का आदेश पारित किया गया। उच्च न्यायालय यह अवधारित करने में सही नहीं है कि बैंक द्वारा प्रत्यर्थी को सेवा से हटाए जाने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। उच्च न्यायालय ने यह अवधारित करने में गलती किया कि सेवा से हटाए जाने का आदेश इस आधार पर अपास्त कर दिया जाना चाहिए कि विधि के जिस प्रावधान के तहत प्रत्यर्थी को सेवा से हटाया गया था, उसका उल्लेख आदेश में नहीं किया गया था। सेवा से हटाए जाने के आदेश मे हस्तक्षेप के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक और कारण यह है कि आपराधिक न्यायालय ने प्रत्यर्थी को केवल सेवा में बने रहने की अनुमति के लिए परिवीक्षा पर रिहा किया था। परिवीक्षा के तहत रिहाई किसी कर्मचारी को सेवा में बने रहने का दावा करने का अधिकार नहीं देती है। वास्तव में नियोक्ता नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए दोषी ठहराए गए कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने के लिए बाध्य है,! आपराधिक न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां नियोक्ता पर बाध्यकारी नहीं है? जिसे अपने कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करने की स्वतंत्रता है।

सुशील कुमार सिंघल बनाम पंजाब नेशनल बैंक, (2010)8 एससीसी 573 ?

इस न्यायालय ने कई अवसरों पर यह सम्प्रेक्षित किया है कि आपराधिक क्षेत्राधिकार में न्यायालयों के पास यह निर्देश पारित करने की शक्ति नहीं है कि उक्त दोषसिद्धि का दोषी की सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अवलोकन करें: गिरराज प्रसाद मीणा बनाम राजस्थान राज्य (2014) 13 एससीसी 674

6. यद्यपि हम प्रत्यर्थी को सेवा से हटाने के आदेश को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों से सहमत नहीं है, यह परिक्षण किया जाना आवश्यक है कि क्या बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10(1)(बी)(प्रथम) मामले के तथ्यों पर लागू है। नैतिक अधमता

से संबंधित अपराध के लिए दोषसिद्धि एक व्यक्ति को बैंक मे सेवा जारी रखने से निर्हरित कर देती है। इस मामले में जो समस्या उत्पन्न होती है वह यह है कि क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के तहत प्रत्यर्थी की दोषसिद्धि को नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए कहा जा सकता है।

7. ब्लैक्स लाW शब्दकोश (छठवां संस्करण) में यथापरिभाषित 'नैतिक अधमता' इस प्रकार है;

"मनुष्य और मनुष्य के बीच अधिकार एवं कर्तव्य के स्वीकृत और प्रथागत नियम के विपरीत नीचता, निकम्मापन या व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों में भ्रष्टता, जो मनुष्य को अपने सहयोगी मनुष्य या सामान्य रूप से समाज के प्रति देना होता है।"

"विधि द्वारा दंडनीय होने की परवाह किए बिना अपने आप में कुछ अनैतिक का तात्पर्य है;" "गंभीरतम अपराधों तक सीमित, जिसमें गुंडागर्दी, कुख्यात अपराध और वे जो अवैध है और एक भ्रष्ट मस्तिष्क को प्रदर्शित करते है।" 4

बाउवियर्स लाW शब्दकोश के अनुसार, 'नैतिक अधमता' हैः

"मनुष्य और मनुष्य के बीच अधिकार एवं कर्तव्य के स्वीकृत और प्रथागत नियम के विपरीत नीचता, निकम्मापन या व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्यों में भ्रष्टता, जो मनुष्य को अपने सहयोगी मनुष्य या सामान्य रूप से समाज के प्रति देना होता है।"

बर्टन विधिक थिसाW रस 'नैतिक अधमता' को इस प्रकार परिभाषित करता हैः

"असद्भाव, कुप्रतिष्ठा, भ्रष्टाचार, कलंक, अपराध, बदनामी, अनादर, लज्जा, अपराध बोध, धूर्तता, दुराचार, विकृति, लज्जा, हिम, गलत।"

8. इसमें कोई संदेह नहीं है कि नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का बैंक प्रबंधन पर दायित्व है।› हाँलांकि प्रत्येक अपराध समाज के विरूद्ध एक अपराध है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10(1)(बी)(प्रथम) के अनुसार सेवा से हटाया जाना केवल नैतिक अधमता से संबंधित अपराध कारित किए जाने के लिए ही हो सकता है। सुशील कुमार सिंघल (उपरोक्त) भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बनाम पी. सुप्रारमणी [न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव]

ऐसे कृत्य जो चारित्रिक नीचता एवं कमजोरी को प्रदर्शित करते हैं उन्हें नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है-किसी अपराध में नैतिक अधमता शामिल है या नहीं यह मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। साधारणतया, नैतिक अधमता से संबंधित एक अपराध का निर्णय करने के लिए जिन परीक्षणों को लागू किया जा सकता है, वे हैः क) क्या दोषोन्मुख कार्य ऐसा था जो नैतिक विवेक या सामान्य रूप से समाज को झटका दे सकता था; ख) क्या कार्य किये जाने के हेतुक का एक आधार था, ग) क्या कार्य करने के कारण अपराधियो को भ्रष्ट चरित्र का माना जा सकता है या ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है जिन्हें

समाज द्वारा नीचे देखा जाता हो। अन्य महत्वपूर्ण कारक जिन्हें यह निष्कर्ष निकालने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी अपराध में नैतिक अधमता शामिल हैः- "वह व्यक्ति जो अपराध करता है; वह व्यक्ति जिसके विरूद्ध किया गया है; जिस तरीके और परिस्थितियों में यह कथित रूप से किया गया है; और समाज के मूल्य।" संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग की जाने वाली अपराध डाटा संग्रह प्रणाली, राष्ट्रीय घटना आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली (एनआईबीआरएस) के अनुसार, प्रत्येक अपराध तीन श्रेणियों मे से एक से संबंधित होता है जो है; व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध, संपत्ति के विरूद्ध अपराध और समाज के विरूद्ध अपराध। व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधों में हत्या, बलात्कार और हमला शामिल है जहां पीड़ित हमेशा व्यक्ति होते हैं। संपत्ति के विरूद्ध अपराधों, उदाहरणस्वरूप लूट और सेंधमारी, का उद्देश्य धन, संपत्ति या कुछ अन्य लाभ प्राप्त करना है। समाज के विरूद्ध अपराधों, उदाहरणस्वरूप जुआ, वेश्यावृत्ति और नशीली दवाओं का उल्लंघन, कुछ प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने के विरूद्ध समाज के निषेध का प्रतिनिधित्व करते हैं। नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के लिए किसी भी विदेशी की दोषसिद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रवासन विधि के तहत निर्वासन का आधार है। ऐसे उद्देश्य के लिए नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के रूप में अर्हता के लिए निंदनीय आचरण एवं अवबोधन दोनों की आवश्यकता होती है, चाहे वह विनिर्दिष्ट आशय, जानबूझकर, इच्छाशक्ति या लापरवाही के साथ हो। इलाहाबाद बैंक बनाम दीपक कुमार भोला 7 पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य, (1996) 4 एससीसी 17 412 8 मंगली बनाम चक्की लाल, एआईआर 1963 इलाहाबाद 527 जोराभाई हीराभाई राबड़ी बनाम जिला विकास अधिकारी, मेहसाणा, एआईआर 1996 गुजरात 3. क्रिस्टोवल सिल्वा-ट्रे विना 241 एवं एन दिसंबर 687 (एजी 2008) सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2019] 6 एस.सी.आर.

9. कुछ अपराधों के विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है, जो कि सीधे तौर पर नैतिक अधमता से संबंधित अपराध माने जा सकते हैं जैसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम आदि के अंतर्गत अपराध। इस मामले में हमारे विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या शारीरिक उपहति से संबंधित अपराध को नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस मामले में, हम हमला से संबंधित हैं। यह कहना बहुत मुश्किल है कि प्रत्येक हमला नैतिक अधमता से संबंधित अपराध नहीं है। एक साधारण हमला गंभीर हमला से भिन्न होता है। हमला या साधारण उपहति के सभी मामलों को नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, किसी खतरनाक हथियार के प्रयोग जिससे पीड़ित की मृन्यु कारित हो सकती है, नैतिक अधमता से संबंधित अपराध हो सकता है। विद्यमान मामले में, प्रत्यर्थी का पीड़ितों की मृत्यु कारित करने का कोई हेतुक नहीं था। निचली आपराधिक न्यायालयों ने पाया कि पीड़ितों को कारित की गयी चोटें साधारण प्रकृति की थीं। इस मामले के तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करने पर, हमारी राय है कि प्रत्यर्थी द्वारा कारित किया गया अपराध नैतिक अधमता से संबंधित नहीं है। चूँकि

प्रत्यर्थी नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध का दोषी नहीं है, इसलिए वह सेवा से हटाए जाने का दायी नहीं है।

10. उपरोक्त यथावर्णित कारणों से, हम उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हैं। तद्नुसार अपील खारिज की जाती है। दिव्या पांडे अपील खारिज।

पुनरीक्षित द्वारा– प्रभात कुमार दुबे,[J.O.Code–UP3438], अपर सिविल जज (जू०डि०), संतकबीर नगर।